FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

<u>जज अदालत नायब तहसीलदार मण्डावर मुकाम–मण्डावर (दौसा)</u>

सरकार .... बनाम .... सियाराम वगै0

किस्म मुकदमा– भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या–04 सन्–2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज **मुकदमा नम्बर–04 / 2023**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.02. 2023	पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम पाखर–1 भूमि ख0न0 1079 कुल अतिक्रमित रकबा 0.20 है0 राजकीय चारागाह भूमि पर गैर सायलान सियाराम, गोपाल पुत्रान रामचरण जाति सैनी निवासी पाखर–1 द्वारा फसल काश्त (गेहूँ) कर अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, गैर सायलान को राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायलान न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुआ तथा गैर सायलान का अभिभाषक उपस्थित हुआ जिसके द्वारा भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके स्पस्ट होता है कि गैर सायलान द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अतः गैर सायलान का अतिक्रमण सिद्ध होता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायलान का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायलान को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू–राजस्व लगान दर 9 रुपये का 50 गुणा 450 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है। बेदखली, वसूली एवं फसल नीलामी हेतु आई0एल0आर0 / पटवार [illegible] कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली [illegible] शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय [illegible] गया। रा0 ल0 स0 4 वर्ष 2022-23 को रा0 सं0–57–पर–450 रु० [illegible] कायम की गई। तहसील राजस्व लखाकार नायब तहसीलदार तहसील मण्डावर (दौसा)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.23 15:23:36 IST
Reason: SelfAttested